न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा राज

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–98/2017 प्रार्थना पत्र

अनवान

1–देवाराम आत्मज रूपलाल ब्राह्मण निवासी नारायणखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1–नानुराम आत्मज प्रताप ब्राह्मण निवासी नारायणखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–भंवरलाल आत्मज प्रताप ब्राह्मण निवासी नारायणखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–रामचन्द्र आत्मज प्रताप ब्राह्मण निवासी नारायणखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–रामनारायण आत्मज प्रताप ब्राह्मण निवासी नारायणखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–मदनलाल आत्मज रामसुख महाजन निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1. मनीष दाधीच– अधिवक्ता प्रार्थी
2. जाकिर हुसैन अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 30.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट नाहरी मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजी ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी के खाता संख्या 199 हाल में अंकित आराजी संख्या 601 रकबा 1.08 है0 अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 एवं नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र की कलम नंबर में एक में अंकित उक्त आराजी में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता मुख्य रास्ता सरकारी से होकर विपक्षीगण संख्या एक लगायत चार की आराजी संख्या 598 व विपक्षी संख्या 5 की आराजी संख्या 606 के मध्य की पाली पर होकर गाडी की गडार का रास्ता उपयोग उपभोग में प्रार्थी के निरन्तर करीब 100 वर्षों से चली आ रही है। आराजी संख्या 598 के उत्तरी तरफ व आराजी संख्या 606 के दक्षिणी तरफ स्थित पाली पर प्रार्थी का रास्ता विद्यमान है। उसी रास्ते से प्रार्थी संज, बेल, ट्रैक्टर आदि लेकर अपनी आराजी पर आता जाता रहा है। विपक्षीगण की आराजियात की जमाबन्दीयां प्रमाण में प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की कृषि आराजी में आने जाने का एक रास्ता आराजी संख्या 598 व 606 की पाली पर होकर आगे विपक्षी संख्या पांच की हाल आराजी संख्या 605 की पाली पर होकर हाल आराजी प्रार्थी की 601 में जाता रहा है। इसके अलावा प्रार्थी की आराजी में आवागमन का कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। विपक्षीगण अपनी आराजी के थोहरो की बाड लगा कर प्रार्थी के आवागमन के उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है एवं आवागमन को रोक दिया है। जिससे प्रार्थी अपने उक्त आराजी पर आवागमन नहीं कर पा रहा है व फसल की हकाई बुवाई, चारा काटना आदि कार्य करने में महरूम हो रहा है। प्रार्थी गरीब काश्तकार है। उसके जीवन यापन का एक मात्र जरिया कृषि भूमि ही है। यदि विपक्षीगण प्रार्थी के उक्त आवागमन के रास्ते का उपयोग उपभोग नहीं करने देगें तो प्रार्थी अपने खेतों में काश्त नहीं कर पायेगा जिससे प्रार्थी व उसका परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ जावेगा। प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी संख्या 601 में ट्रेक्टर, संज, बैल, गाडी आदि का आवागमन के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 598 व 606 व 605 की पाली पर 16 फीट चौडाई का रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके बिना प्रार्थी अपनी कृषि आराजी में आवागमन नहीं कर पायेगा। रास्ते के उपयोग में आने वाली विपक्षीगण की आराजियात की भूमि का

र्थी डी.एल.सी दर से प्रतिफल देने को तैयार है। प्रार्थी का विपक्षीगण के विरूद्ध बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक 28.08.2017 को उत्पन्न होकर निरंतर जारी है प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 27.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या चार एवं पांच की ओर से अधिकार पत्र जाकिर हुसैन एडवोकेट का पेश किया गया जो शमिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को विपक्षी संख्या एक से तीन की मृत्यु होने से संशोधित टाइटल पेश करने हेतु कहा गया। किन्तु संशोधित टाइटल पेश नहीं किया गया। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में भी नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में उभय पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित हैं। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार उपरोक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या चार व पांच की ओर से निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में विपक्षीसंख्या एक, दो, तीन की प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही मृत्यु हो गई है। तथा प्रार्थी की भी मृत्यु हो चुकी है। परंतु प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अभी तक विपक्षीगण व प्रार्थी के कायम मुकामान नहीं बनाये हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा 90 दिवस के अन्दर मृत्यक के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया है। जिससे प्रार्थनापत्र अबेट हो चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अबेट हो जाने से खारिज फरमाया जायें।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। विपक्षीगण के प्रार्थनापत्र के अनुसार उपरोक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या चार व पांच की ओर से निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में विपक्षीसंख्या एक, दो, तीन की प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही मृत्यु हो गई है। तथा प्रार्थी की भी मृत्यु हो चुकी है। परंतु प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अभी तक विपक्षीगण व प्रार्थी के कायम मुकामान नहीं बनाये हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा 90 दिवस के अन्दर मृत्यक के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया है। जिससे प्रार्थनापत्र अबेट हो चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अबेट हो जाने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे असफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अबेट (खारिज) किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे असफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अबेट (खारिज) किया जाता है।

राजक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा